	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
5.12.19	इस पर [illegible] पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर है / अवकाश पर है / पदरिक्त है। अतः पत्रावली दिनांक 6.12.19 को पेश हो। रीडर उपखण्ड अधिकारी मण्डल	
6.12.19	पत्रावली पेश हुई वकलाय फरिकैन उपस्थित, तहसीलदार माण्डल से विवादित आराजियात की मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। उभयपक्ष बहस आयन्दा करना चाहते हैं। बहस हेतु अवसर दिया जाता है। वास्ते पत्रावली मे बहस हेतु नियत दिनांक 10.12.19 को पेश हो।	
10.12.19	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन / बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 12.12.19 को पेश हो। [illegible]	
12.12.19	पत्रावली पेश हुई, वकलाय फरिकैन उपस्थित, उभयपक्ष बहस करना चाहते हैं। उभयपक्षो की बहस सुनी गयी। वास्ते पत्रावली मे आदेश हेतु नियत दिनांक 13.12.19 को पेश हो।	
13.12.19	पत्रावली पेश हुई वकलाय फरिकैन उपस्थित वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-A रा. का. अधिनियम के तहत अपनी खातेदारी आराजी नं. 2841/1541 [illegible] 23 बीघा 16 बिस्वा [illegible] [illegible] उर्फ आशापुरा [illegible] [illegible] [illegible] से [illegible] उक्त [illegible] [illegible] जाने हेतु रास्ता [illegible] [illegible] [illegible] आराजी नम्बर उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 16:15:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहकाम जो हुक्म की ता... में जारी हु...

1558, 1557, 1556, 1539 व 3075/1541 मे से 20 फीट चौड़ाई का रास्ता कायम करने की इस्तदुआ की। जब कि वकील विपक्षीगण ने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज किये जाने की इस्तदुआ की।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षो की बहस पर मनन किया, तथा तहसीलदार माण्डल की मौका रिपोर्ट मे बताया कि आराजी सं. 2841/1541 मे आने जाने हेतु पूर्व मे रसी ग्राम की आबादी से लगते हुए आ.नं. 1558, 1557, 1556 मे से होकर 1539 तक जाने हेतु कदमी रास्ता मौके पर पुख्ता बना हुआ है एवं आराजी सं. 1552 प्रार्थीगण की स्वयं की है जो रास्ते/सड़क से लगी हुई है व आराजी सं. 1539 व खसरा नम्बर 3075/1541 के रकबे मे रास्तानुमा एक तरफ बाड़ एवं उत्तर दिशा की तरफ पत्थरो का कोट लगाकर 12फीट के अन्तर मे पत्थर डालकर बन्द कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे असफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाना उचित समझता हूं, अतः

:: आदेश ::

प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्ध कराने मे असफल रहने के कारण प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज किया जाता है तथा तहसीलदार मांडल को आदेशित किया जाता है कि रास्ते पर अतिक्रमण किया हुआ है जिसे हटाया जाकर रास्ते का खुलासा किया जावे।

पत्रावली फैस[illegible] दाखिल हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2021.01.22 16:15:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner